

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294290
ई-मेल / E-mail: palash.shankar@gov.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in



सं.सीपज़-सेज़/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II/ 11070

दिनांक: 14/8/2023

परिपत्र सं. श्रम/23/2023-24

विकास आयुक्त, सेज़ को मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेज़ों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन प लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 199/2020 द्वारा उप विकास को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। आज की तारीख में सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा जेम तथा ज्वेलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/07/2023 से दिनांक 31/12/2023 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता).

1. जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स(अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 12605	रु. 11445	रु. 10350
विशेष भत्ता	रु. 2200	रु. 2200	रु. 2200
कुल	रु. 14805	रु. 13645	रु. 12550
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 740	रु. 682	रु. 628
न्यूनतम मजदूरी	रु. 15545	रु. 14327	रु. 13178

2. दुकाने तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 11632	रु. 10856	रु. 10021
विशेष भत्ता	रु. 2678	रु. 2678	रु. 2678
कुल	रु. 14310	रु. 13534	रु. 12699
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 716	रु. 677	रु. 635
न्यूनतम मजदूरी	रु. 15026	रु. 14211	रु. 13334

3. सीपूज(इलेट्रोनिक्स):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 6024	रु. 6024	रु. 6024
कुल	रु. 12324	रु. 11824	रु. 11324
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 616	रु. 591	रु. 566
न्यूनतम मजदूरी	रु. 12940	रु. 12415	रु. 11890

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष- 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनियों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रसाशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो क्रापीया मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



भवदीय,

पलाश शंकर
14/8/23

(पलाश शंकर)

सहायक विकास आयुक्त,

सीपूज-सेज़.

	भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner, सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096 टेलि. / Tel. : 022-28294290 ईमेल- / E-mail: palash.shankar@gov.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in	
	F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/ 11070 Dated: 14/08/2023	

CIRCULAR NO./LAB/23/2023-24

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. Further this power has been delegated to Deputy Development Commissioner by Development Commissioner vide Office Order No. 199/200 dated 16/10/2020. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01/07/2023 to 31/12/2023)

1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
Special Allowance	Rs. 2200	Rs. 2200	Rs. 2200
Total	Rs. 14805	Rs. 13645	Rs. 12550
HRA (5%)	Rs. 740	Rs. 682	Rs. 628
Minimum Wages	Rs. 15545	Rs. 14327	Rs. 13178

2. Bombay Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 11632	Rs. 10856	Rs. 10021
Special Allowance	Rs. 2678	Rs. 2678	Rs. 2678
Total	Rs. 14310	Rs. 13534	Rs. 12699
HRA (5%)	Rs. 716	Rs. 677	Rs. 635
Minimum Wages	Rs. 15026	Rs. 14211	Rs. 13334

3. SEEPZ (Electronics) :-


	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 6024	Rs. 6024	Rs. 6024
Total	Rs. 12324	Rs. 11824	Rs. 11324
HRA (5%)	Rs. 616	Rs. 591	Rs. 566
Minimum Wages	Rs. 12940	Rs. 12415	Rs. 11890

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1st January and 1st July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,


(Palash Shankar)

Assistant Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ.